## निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक C-51/निदे0म0क0/कम्प्यू0सेल/2014–15,

दिनांकः लखनऊः 17 जून 2014

1– समस्त मण्डलीय मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला प्रोवेशन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– एस.एस.डी0जी. योजनान्तर्गत 8 विभागो की 26 सेवाएं जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रदान की जा रही सेवाओं के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक एस.एस.डी0जी. योजनान्तर्गत 8 विभागो की 26 सेवाएं जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रदान की जा रही सेवाओं के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। योजना की सफलता हेतु आनलाइन ट्रान्जेक्शन को बढ़ाये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। एस.एस.डी.जी. योजनान्तर्गत दिनांक 31.7.2012 से 11.6.2014 तक महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं अन्य चारो योजनाओं यथा पुत्री विवाह, दम्पत्ति पुरस्कार, आर्थिक/कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत कुल 6110 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिनमें से मात्र 2882 आवेदन पर ही निस्तारित हुये है।(छायाप्रति संलग्न) जबकि निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आनलाइन प्रार्थना पत्रों को 60 दिनो के अन्दर निस्तारित किये जाने तथा अन्य योजनाओं में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को 30 दिनों के अन्दर निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है।

168 प्रति
शम्बेख
17/6/14
3.45 P.M

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपदों में अनिस्तारित प्रार्थनों की समीक्षा करें कि किन कारणो से उक्त प्रार्थना पत्र लम्बित है तथा उन्हें तत्काल निस्तारित कराते हुए सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नक–यथोक्त।

17/6/14.

(आरती श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक।

पृष्ठांकन एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(आरती श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक।